



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 29.05.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 335/2026 धारा 305(a) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार , जिसके कब्जे से 02 खाली केन बीयर Carlsberg Elephant, 02 बोतल शराब VAT 69, 02 बोतल शराब Magic Moments Verve, 09 खाली केन बीयर Haywards 5000 Bold Strong तथा 01 पेटी में भरी 12 केन बीयर Haywards 5000 Bold Strong बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25-05-2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी अतुल भाटी पुत्र सुरेश निवासी ग्राम मितली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी की दुकान से शराब की बोतलें, बीयर की पेटियां एवं कुछ नगदी चोरी कर ली गई है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0



335/26 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 335/2026 धारा 305(A) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है , जिसके कब्जे से 02 खाली केन बीयर Carlsberg Elephant, 02 बोतल शराब VAT 69, 02 बोतल शराब Magic Moments Verve,

09 खाली केन बीयर Haywards 5000 Bold Strong तथा 01 पेटी में भरी 12 केन बीयर Haywards 5000 Bold Strong बरामद हुई ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट:- उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्तगण 1. आमिर पुत्र बाबूखान निवासी ग्राम मंडौला थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद, 2. तुषार उर्फ खपीटर पुत्र वीरपाल निवासी ग्राम मंडौला थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद एवं अन्य 03 अज्ञात अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए हैं। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2)/331(4) बीएनएस की वृद्धि की गई है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1) सौरभ पुत्र राजू निवासी ग्राम मंडौला थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण-

- 02 केन बीयर खाली Carls berg Elephant
- 02 बोतल शराब VAT 69 हरे रंग की बोतल
- 02 बोतल शराब Magic Moment VERVE
- 09 केन बीयर HAYWARDS 5000 BOLD STRONG खाली
- 01 पेटी जिसमें 12 अदद केन बीयर HAYWARDS 5000 BOLD STRONG

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 अंकित कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2- उ0नि0 संजय कुमार प्रभारी सर्विलांस बागपत मय टीम ।
- 3- है0का0 816 शौकेन्द्र नागर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4- है0का0 351 पवन नागर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5- है0का0 339 राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 6- है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 7- का0 467 टिकू अधाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 8- का0 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 9- का0 165 सन्दीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 29.05.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 347/2026 धारा
191(2)/217/126/115(2)/352/308(2)/351(2) बीएनएस से सम्बंधित 05
अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.05.2026
को थाना कोतवाली
बागपत पर उ0नि0
सत्यम जंघाला द्वारा
लिखित जांच रिपोर्ट
दाखिल की गई। जांच
में प्रकाश में आया कि
अभियुक्तगण 1. मयंक
पुत्र बिजेन्द्र निवासी



आदर्श नंगला थाना छपरौली जनपद बागपत, 2. आदर्श सिंह पुत्र शैलेश सिंह
निवासी गुराना रोड गली नं0-13 थाना बड़ौत जनपद बागपत, 3. कुश तोमर पुत्र
अमित कुमार निवासी कोताना रोड सरकारी अस्पताल थाना बड़ौत जनपद
बागपत, 4. अर्जुन पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम बावली थाना बड़ौत जनपद बागपत
एवं 5. प्रिंस मान पुत्र राजीव मान निवासी सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत
द्वारा ट्रक संख्या UP82AT8514 के चालक को अवैध रूप से रोककर ट्रक में
गौवंश होने की धमकी दी गई तथा चालक के साथ मारपीट, गाली-गलौज एवं
जबरन वसूली की गई। प्राप्त प्रार्थना पत्र एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना
कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 347/26 धारा 191(2)/217/126/115(2)/352/
308(2)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 347/26 धारा 191(2)/217/126/115(2)/352/308(2)/351(2) बीएनएस में वांछित 05 अभियुक्तों 1. मयंक पुत्र बिजेन्द्र निवासी आदर्श नंगला थाना छपरौली जनपद बागपत, 2. आदर्श सिंह पुत्र शैलेश सिंह निवासी गुराना रोड गली नं0-13 थाना बड़ौत जनपद बागपत, 3. कुश तोमर पुत्र अमित कुमार निवासी कोताना रोड सरकारी अस्पताल थाना बड़ौत जनपद बागपत, 4. अर्जुन पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम बावली थाना बड़ौत जनपद बागपत एवं 5. प्रिंस मान पुत्र राजीव मान निवासी सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। उपरोक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1 - मयंक पुत्र बिजेन्द्र निवासी आदर्श नंगला थाना छपरौली जनपद बागपत जनपद बागपत।
- 2- आदर्श सिंह पुत्र शैलेश सिंह निवासी गुराना रोड गली नं0 13 थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 3- कुश तोमर पुत्र अमित कुमार निवासी कोताना रोड सरकारी अस्पताल थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 4- अर्जुन पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम बावली थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 5- प्रिंस मान पुत्र राजीव मान निवासी सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 आलोक तोमर थाना बागपत जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 राहुल कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।
- 3-है0का0 339 राकेश कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।
- 4-है0का0 491 रामकुमार थाना बागपत जनपद बागपत।
- 5-है0का0 816 शोकिन्द्र सिंह थाना बागपत जनपद बागपत।
- 6-का0 467 टिकू अधाना थाना बागपत जनपद बागपत।
- 7-का0 44 संजीव कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 29.05.2026

थाना खेकडा पर पंजीकृत मुकदमों से सम्बन्धित 1475 लीटर अवैध शराब
विनिष्टीकरण के सम्बन्ध में

कार्यवाही-

आज दिनांक 29.05.2026 को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार थाना खेकडा पर वर्ष 2025 के आबकारी अधिनियम के माल को क्षेत्राधिकारी खेकडा, नायब तहसीलदार खेकडा, प्रभारी निरीक्षक खेकडा की उपस्थिति में बडागाँव नहर पर जेसीबी से 10 फीट गड्ढा खुदवाकर कुल 1475 लीटर अवैध शराब विनिष्टीकरण की कार्यवाही की गयी।





प्रेस नोट
थाना चांदीनगर

दिनांक 29.05.2026

थाना चांदीनगर पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

1. रोहित पुत्र राजपाल निवासी ग्राम गढी कलंजरी थाना चाँदीनगर जनपद बागपत उम्र करीब 29 वर्ष
2. विकास उर्फ विककी पुत्र स्व० धर्मसिंह निवासी ग्राम गढी कलंजरी थाना चाँदीनगर जनपद बागपत उम्र करीब 34 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री कृष्णवीर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 2-है०का० 295 नरेन्द्र गौड़ थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 3-का० 224 मोहित कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 4-का० 427 अरुण भाटी थाना चांदीनगर जनपद बागपत

